



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन, 1947 (श०)

संख्या - 114 राँची, गुरुवार,

12 मार्च, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

11 फरवरी, 2026

आदेश सं०- 3/पेंशन-1-25/2025 का०- 739--श्री अवध किशोर सिंह, तत्कालीन बि०प्र०से० (झा०प्र०से० से सेवानिवृत्त) के विरुद्ध उनके कोषागार पदाधिकारी के पद पर बांका कोषागार, बांका में पदस्थापन अवधि (वर्ष 1994-95) में पशुपालन विभाग के आपूर्तिकर्ता का अनियमित रूप से विपत्र पारित करने संबंधित मामले की जाँच सी०बी०आई० द्वारा करने हेतु दर्ज **CBI Case No- R.C-63(A)/96** में नामजद अभियुक्त बनाया गया, जिसके आधार पर विधि (न्याय) विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या- 218/जे०, दिनांक- 01.01.2002 द्वारा उनके विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दी गयी।

2. **CBI Case No- R.C.- 63(A)/96** में नामजद अभियुक्त रहने एवं अभियोजन स्वीकृत रहने के कारण सम्यक विचारोपरांत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या- 2489, दिनांक- 14.03.2002 (पृ० 159/प०) के द्वारा श्री अवध किशोर सिंह, तत्कालीन बि०प्र०से० (झा०प्र०से० से सेवानिवृत्त) (कोटि क्रमांक-535/03), तत्कालीन संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर को असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम- 49(ए)(1) (बी) के तहत आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक निलंबित किया गया।

3. श्री सिंह निलंबित रहते हुए दिनांक 30.06.2004 को सेवानिवृत्त हो गये।

4. श्री सिंह के द्वारा अंतिम पेंशन की स्वीकृति एवं निलंबन अवधि की सेवा विनियमन हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में **WP(S) No.- 6121/2016** अवध किशोर सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा **WP(S) No.- 6121/2016** अवध किशोर सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक- 12.06.2017 को पारित न्यायादेश के द्वारा उक्त याचिका को निरस्त कर दिया गया। साथ ही वादी को सक्षम प्राधिकार के समक्ष निलंबन अवधि के दौरान वेतन एवं भत्ते के भुगतान के लिए आवेदन देने का निदेश दिया गया।

5. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा **WP(S) No.- 6121/2016** अवध किशोर सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक- 12.06.2017 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध श्री अवध किशोर सिंह के द्वारा माननीय न्यायालय में **LPA No.- 435/2017** अवध किशोर सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

6. **LPA No.- 435/2017** अवध किशोर सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 21.04.2025 को पारित न्यायादेश के कार्यकारी अंश की कंडिका- (i) में श्री सिंह के निलंबन अवधि दिनांक- 14.03.2002 से 30.06.2004 तक की अवधि को विनियमित करने के संबंध में चार सप्ताह के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया गया। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:

"-30. This Court, in view of the aforesaid discussion, is of the view that when the statutory duty has been casted upon the State then irrespective of filing of the representation, it is the bounden duty of the State to consider the period of suspension for the purpose of finalization and fixation of pension. But instead of doing so, the State has granted provisional pension which is contrary to the mandate as provided under Rule 43(b) of the Pension Rules interpreted in the case of Deokinandan Prasad vs. State of Bihar & Ors. (supra) and State of Jharkhand and Ors. Vs. Jitendra Kumar Srivastava and Anr (supra), therefore, this Court is of the view that the whatever order has been passed by the learned Single Judge, the same is being modified to the extent as hereinbelow:

(i) The competent authority of the State of Jharkhand is directed to take decision of regularization of the period of service for the period from 14.03.2002 to 30.06.2004, when the appellant was under suspension and which was revoked on superannuation of the present appellant, within a period of four weeks from the date of receipt/production of copy of this order.

(ii) The State Government is further directed to complete the process of fixation and finalization of pension within a further period of four weeks from the date of taking such decision under Rule 97 of the Jharkhand Service Code.

- (iii) The State Government is further directed to send the final pension paper to the office of the Accountant General within a week from the date of final decision which is to be taken for finalization of the pension.
- (iv) The Accountant General is directed to complete the exercise within a further period of two weeks from the date of receipt of such documents from the State Government.
- (v) The Principal Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha, Government of Jharkhand is directed to ensure compliance of the said order so that the appellant may get his full and final pension forthwith alongwith the admissible arrears, difference of pensionary benefits.

31. In view thereof, the instant appeal stands disposed of with the aforesaid observation(s) and direction(s).-----"

7. **LPA No.- 435/2017** अवध किशोर सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-21.04.2025 को पारित न्यायादेश की समीक्षा के क्रम में विधि विभाग के माध्यम से प्राप्त विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में **SLP Diary No. 70392/2025** झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम अवध किशोर सिंह माननीय सर्वोच्च न्यायालय दायर किया गया।

8. **SLP Diary No.- 70392/2025** झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम अवध किशोर सिंह में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-16.01.2026 को पारित न्यायादेश के द्वारा उक्त **SLP** को निरस्त कर दिया गया है।

9. **CBI, SCB, Patna** से प्राप्त पत्रांक- 1371, दिनांक- 14.05.2025 में प्रतिवेदित है कि सीबीआई, पटना के कांड संख्या-63(A)/96 में श्री अवध कुमार सिंह, पिता- श्री नन्द किशोर सिंह, तत्कालीन ट्रेजरी ऑफिसर, बांका सहित कुल 44 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दिनांक-31.03.2003 माननीय सीबीआई कोर्ट, पटना में दायर किया गया था।

माननीय कोर्ट के द्वारा दिनांक- 01.03.2012 को अभियुक्त अवध किशोर सिंह और ध्रुव भगत को छोड़कर सभी अभियुक्त के खिलाफ आरोप निर्धारण किया गया था। अभियुक्त अवध किशोर सिंह माननीय सीबीआई कोर्ट, पटना के समक्ष दिनांक- 29.03.2012 को आत्म समर्पण किया था, तदोपरांत माननीय कोर्ट द्वारा दिनांक- 02.04.2012 को अवध कुमार सिंह के खिलाफ भी आरोप का निर्धारण किया गया था।

वर्तमान में श्री अवध किशोर सिंह सहित अन्य अभियुक्तों के खिलाफ माननीय सीबीआई कोर्ट पटना में ट्रायल चल रहा है।

CBI, SCB, Patna से प्राप्त पत्रांक- 2282, दिनांक-23.07.2025 में प्रतिवेदित है कि श्री अवध किशोर सिंह के विरुद्ध दर्ज सीबीआई, पटना के कांड संख्या-63(A)/96 माननीय विशेष न्यायाधीन, सी०बी०आई०, पटना के न्यायालय में ट्रायल हेतु लंबित है।

10. श्री सिंह को उनके विरुद्ध दर्ज **CBI Case No- R.C.- 63(A)/96** में नामजद अभियुक्त रहने एवं अभियोजन स्वीकृत रहने के कारण सम्यक विचारोपरांत निलंबित किया गया था। उक्त आपराधिक मामला वर्तमान में भी लंबित है।

11. अतः समीक्षोपरांत, श्री सिंह के निलंबन अवधि के संबंध में निम्नवत् निर्णय लिया जाता है:-

(क) **LPA No.- 435/2017** अवध किशोर सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक- 21.04.2025 को पारित न्यायादेश तथा **SLP Diary No. 70392/2025** झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम अवध किशोर सिंह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 16.01.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री अवध किशोर सिंह, तत्कालीन बि०प्र०से० (झा०प्र०से० से सेवानिवृत्त)(कोटि क्रमांक- 535/03), तत्कालीन संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर के निलंबन अवधि, दिनांक- 14.03.2002 से 30.06.2004 तक, को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 97 के तहत इस शर्त के साथ विनियमित किया जा सकता है कि उक्त अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन परियोजनार्थ की जायेगी।

(ख) श्री सिंह के निलंबन अवधि के सेवा का विनियमन उनके विरुद्ध दर्ज सीबीआई, पटना के कांड संख्या-63(A)/ 96 के अंतिम फलाफल से प्रभावित होगा।

12. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
